**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 15/16

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **अप्रार्थी** |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | संजय लोहिया पुत्र हरिकिशन लोहिया जाति माहेश्वरी निवासी हाथी चौक, नागौर फर्मः– संजय एजेन्सीज पुरानी धान मंडी, नागौर। |

**आदेश** दिनांक :19.04.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 23-05-2014 को मैसर्स संजय एजेंसीज पुरानी धान मण्डी, नागौर, जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Sharbat) (Anandam Brand) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 620 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/321/एक्ट/2014/340 दिनांक 03.07.2014 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Sharbat) (Anandam Brand) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त संजय लोहिया पुत्र हरिकिशन लोहिया जाति माहेश्वरी निवासी हाथी चौक, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2.खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 21-10-2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.12.2016 को श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ने दिनांक 01.10.2021 को जवाब पेश किया तथा दिनांक 19.04.2022 को पुनः अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर लगाये गये आरोप स्वेच्छा से स्वीकार है तथा अप्रार्थी मध्यम वर्गीय छोटा व्यापारी है एवं उक्त कृत्य की पुनरावृति नहीं करेगा। अप्रार्थी पर लगाया गया यह प्रथम आरोप है तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/321/एक्ट/2014/340 दिनांक 03.07.2014 के अनुसार खाद्य पदार्थ Synthetic Syrup (Khus Sharbat) (Anandam Brand) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत संजय लोहिया पुत्र हरिकिशन लोहिया जाति माहेश्वरी निवासी हाथी चौक, नागौर पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
नागौर (राजस्थान)